न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 41/18

मोहरसिंह पुत्र खींवाराम जाति जाट निवासी ढाणी खरबासा तन गुढा गौड़जी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।

—अपीलांट

—बनाम—

1. सरिता पत्नी प्रकाश उम्र 40 साल जाति जाट निवासी ढाणी खरबासा तन गुढा गौड़जी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।
2. विवेक चौधरी दत्तक पुत्र रिछपाल आयु 40 साल जाति जाट निवासी ढाणी खरबासा तन गुढा गौड़जी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ आदेश 23.2.2018 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी
उनवानी सरिता बनाम मोहर सिंह अं0धारा 251 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955, मु0न0 02/2018

उपस्थितिः—

1 श्री विजय ओला, एडवोकेट ——— ——— ———अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट————————रेस्पोडेन्ट नंबर 3 की ओर से।
3. रेस्पोडेंट नंबर 2 स्वयं उपस्थित। रेस्पों—3 बावजूद तामिल अनुपस्थित।

—निर्णय— दिनांक 28.2.2022

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.02.2018 उनवानी प्रकरण सरीता बनाम मोहर मु0नं0 02/2018 अ. धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि— अदालत मातहत ने अपने आदेश में खेद[illegible]णी के राजस्व ग्राम ढाणी खरबासा से भूमि खसरा नंबर 82 तक जाने वाला रास्ता खसरा नंबर 78 से होकर जाता है जिसको

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.03.16 12:54:05 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

खसरा नंबर 78 के खातेदारों द्वारा पत्थर डालकर किये गये अवरूद्ध रास्ते को खोले जाने के आदेश दिये हैं। जबकि प्रार्थना पत्र में खसरा नंबर 78 के खातेदारों को पक्षकार ही नहीं बनाया गया है। रेस्पोडेन्ट ने सिर्फ अपीलान्टको पक्षकार बनाकर अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र अं0धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधि0 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है। तथा खसरा नंबर 78 में रास्ता कायम किये जाने का आदेश पारित करवाया है जबक अपलांट खसरा नंबर 78 की भूमि का खातेदार नहीं है। खसरा नंबर 78 के खातेदार को पक्षकार बनाये बिना ही रास्ता कायम किये जाने का आदेश पारित किया गया है। रेस्पोन्डेंट ने गलत चस्पादंगी से तामिल दिखाकर एक पक्षीय आदेश पारित करवाया है जो गलत। खसरा नंबर 78 में से राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता नहीं है। अदालत मातहत ने बिना पत्रावली व रिकार्ड देखे ही मात्र आर्डर सीट पर ही निर्णय पारित किया है जो निर्णय की तारीफ में नहीं आता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत तहसीलदार उदयपुरवाटी दिनांक 23.2.2018 निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया किः— अदालत मातहत ने अपने आदेश में खेदड़ों की ढाणी के राजस्व ग्राम ढाणी खरबासा से भूमि खसरा नंबर 82 तक जाने वाला रास्ता खसरा नंबर 78 से होकर जाता है जिसको खसरा नंबर 78 के खातेदारों द्वारा पत्थर डालकर किये गये अवरूद्ध रास्ते को खोले जाने के आदेश दिये हैं। जबकि प्रार्थना पत्र में खसरा नंबर 78 के खातेदारों को पक्षकार ही नहीं बनाया गया है। रेस्पोडेन्ट ने सिर्फ अपीलान्ट को पक्षकार बनाकर अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र अं0धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधि0 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है। तथा खसरा नंबर 78 में रास्ता कायम किये जाने का आदेश पारित करवाया है जबक अपलांट खसरा नंबर 78 की भूमि का खातेदार नहीं है। खसरा नंबर 78 के खातेदार को

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.03.16 12:54:05 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

पक्षकार बनाये बिना ही रास्ता कायम किये जाने का आदेश पारित किया गया है। रेस्पोन्डेंट ने गलत चस्पादंगी से तामिल दिखाकर एक पक्षीय आदेश पारित करवाया है जो गलत। खसरा नंबर 78 में से राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता नहीं है। अदालत मातहत ने बिना पत्रावली व रिकार्ड देखे ही मात्र आर्डर सीट पर ही निर्णय पारित किया है जो निर्णय की तारीफ में नहीं आता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत तहसीलदार उदयपुरवाटी दिनांक 23.2.2018 निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा ढाणी खरबासा की भूमि खसरा नंबर 78 में रास्ता कायम किये जाने का आदेश पारित किया गया है जबकि अपीलांट खसरा नंबर 78 की भूमि का खातेदार नहीं है। खसरा नंबर 78 के खातेदार को पक्षकार बनाये बिना ही एक पक्षीय आदेश पारित कर रास्ता कायम किये जाने का आदेश पारित किया गया है जो विधिक प्रावधानों के विपरित आदेश होने से पारित आदेश विधिसम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.2.2018 उनवानी सरीता बनाम मोहर सिंह मु0नं0 02/2018 निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार उदयपुरवाटी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि विवादित भूमि का वे स्वयं मौका निरीक्षण कर प्रकरण में आवश्यक सभी [illegible] को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते पुनः विधिसम्मत कार्यवाही [illegible] अदालत आदेश प्रति सहित

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.03.16 12:54:05 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.03.16 12:54:05 IST
Reason: SelfAttested